अनुबंध-III

[20 जून 2014 का ए.पी.(डीआईआर सीरीज परिपत्र सं.148]

अधिसूचना सं. फेमा. 303 /2014-आरबी **21 मई 2014**

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाएँ) (संशोधन) विनियमावली, 2014

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (एच) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाएँ) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 25/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:-

1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाएँ) (संशोधन) विनियमावली, 2014 कहलाएंगे।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. विनियमों में संशोधन

विनियम 5ए के बाद निम्नवत विनियम 5बी अंतर्निहित (insert) किया जाएगा:

"भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति को करेंसी फ्यूचर्स अथवा एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी आप्शन्स के सौदे करने के लिए अनुमति

भारत से बाहर का निवासी व्यक्ति, जो समय-समय पर यथा संशोधित, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना फेमा.20/2000-आरबी (3 मई 2000 के जी.एस.आर. 406 (ई)) की अनुसूचियों 2, 5, 7 और 8 में यथा निर्धारित प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए पात्र है, जोखिम के एक्सपोज़र को हेज करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों में यथा घोषित शर्तों के अधीन प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4 के तहत किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्स्जेंज में करेंसी फ्यूचर्स अथवा एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी आप्शन्स में भाग ले सकता है।"

(एस.एम.पिल्लई)

प्रभारी महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी :-

1. मूल विनियमावली 8 मई 2000 को जी.एस.आर.सं.411(ई) के जरिये सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गयी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी –

28.09.2000 के जी.एस.आर.सं. 756 (ई)
09.04.2002 के जी.एस.आर.सं. 264 (ई)
19.08.2002 के जी.एस.आर.सं. 579 (ई)
18.03.2003 के जी.एस.आर.सं. 222 (ई)
09.07.2003 के जी.एस.आर.सं. 532 (ई)
11.11.2003 के जी.एस.आर.सं. 880 (ई)
11.11.2003 के जी.एस.आर.सं. 881 (ई)
28.12.2005 के जी.एस.आर.सं. 750 (ई)
19.04.2006 के जी.एस.आर.सं. 222 (ई)
19.04.2006 के जी.एस.आर.सं. 223 (ई)
07.12.2007 के जी.एस.आर.सं. 760 (ई)
05.08.2008 के जी.एस.आर.सं. 577 (ई)
23.06.2009 के जी.एस.आर.सं. 440 (ई)
14.12.2009 के जी.एस.आर.सं. 895 (ई)
27.07.2010 के जी.एस.आर.सं. 635 (ई)
03.08.2012 के जी.एस.आर.सं. 608 (ई)
30.12.2012 के जी.एस.आर.सं. 799 (ई)
23.05.2013 के जी.एस.आर.सं. 330 (ई)

भारत सरकार के सरकारी राजपत्र – असाधारण – भाग - II, खंड 3,
उप खंड (i) में 02.06.2014 को जीएसआर सं. 374(ई) के जरिए प्रकाशित